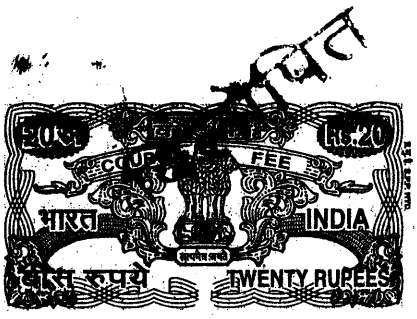

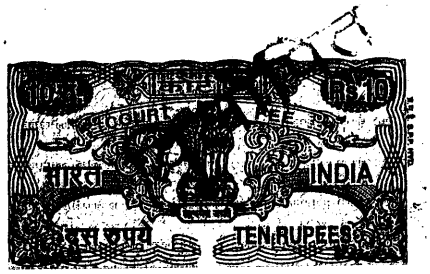

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी 4167-II/16

जोधा सिंह पुत्र खड़ग सिंह निवासी ग्राम सैसई सड़क परगना कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1. जगदीश पुत्र रामस्वरूप मुदगल
2. कलावाई पत्नि जगदीश प्रसाद मुदगल
3. राजीव पुत्र मुरारीलाल दुबे निवासी शिवपुरी जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदकगण

श्री एस. पी. धाकड़ द्वारा आज दि. 8.12.16 को प्रस्तुत 8-12-16 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

798 8-12-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्र.क. 102/14—15/अपील में पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, अनावेदकगण ने ग्राम सेसई सड़क की भूमि सर्वे क्र. 174, 1742, 1744, 1747, 1759 कुल किता 05 कुल रकवा 2.55 है. बावत् अपने आपको भूमि स्वामी होना बतलाते हुये तथा आवेदक जोधा सिंह द्वारा उनकी भूमि पर अवैध कब्जा करना बतलाते हुये आवेदन दिनांक 02.08.2014 को प्रस्तुत करने पर आवेदक को तलब किया गया। आवेदक ने प्रकरण में उपस्थित होकर दिनांक 03.09.2014 को जबाव प्रस्तुत करते हुये सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी ग्राम सेसई सड़क से प्रतिवेदन आहूत किया उसके द्वारा प्रतिवेदन पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी ने उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को मय पंचनामा मौखिक रूप से वापस कर दिया और संक्षिप्त प्रतिवेदन कहकर पेश कराया। रेस्पो.गण पक्ष द्वारा प्रकरण में अपनी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने संबंधी मौखिक इच्छा जाहिर करेन पर दिनांक 12.09.2014 को आवेदक/अनावेदक साक्ष्य हेतु दिनांक 15.09.2014 को पेशी नियत की जिस पर आवेदक ने अपने स्वयं के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग -- अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4167--दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 --01--2017	आवेदक अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ एवं केवीयेकटर्ता अभिभाषक श्री सुनील सिंह जौदान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विकय पत्र से कय की गई भूमि के नामांतरण उपरांत के पश्चात आवेदक द्वारा अवैध कब्जा होने के कारण उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 18--9--14 के द्वारा आवेदक के विरूद्ध बेदखल करने एवं 9,56,250/-- का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश दिया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने भी स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का आधार प्रथमदृष्टया नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से गाह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	